हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 28 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–125/2025.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2025 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 14 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2025 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 13 अगस्त, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 14 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 की उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन, उसके नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में, शहरी विस्तार को समायोजित करने और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में कई नई नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। इस विस्तार के कारण, तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि इन नवगठित नगरपालिकाओं में आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे पर्याप्त कार्मिक, कार्यालय स्थान और वित्तीय संसाधन, का अभाव है, जो सभी प्रभावी चुनाव संचालन और नगरपालिका मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करके यह उपबन्ध किया गया है कि किसी नगरपालिका का प्रथम चुनाव उसके गठन के दो वर्षों के भीतर कराया जा सकेगा।

चूंकि, विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन तत्काल किया जाना था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्या 3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के तहत महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा अगस्त 2025 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त, 2025 को अधिसूचना संख्या एलएलआर–डी (6) 13/2025–लेगन, दिनांक (13 अगस्त, 2025) के तहत प्रकाशित किया गया था।

अब उक्त अध्यादेश को आंशिक संशोधन के साथ नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

(विक्रमादित्य सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख......................, 2025

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 14.
3. Repeal and savings.

———————

Bill No. 14 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 13th August, 2025.

2. Amendment of section 14.—In section 14 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in sub-section (2), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

> "Provided further that the first election to a municipality may be held within a period of two years of its being notified as a municipality.".

3. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Himachal Pradesh, several new municipalities have recently been constituted to accommodate urban expansion and improve municipal services in urban areas. Due to this expansion, it is not feasible to conduct immediate elections because these newly formed municipalities lack essential infrastructure such as adequate personnel, office space, and financial resources, all of which are necessary to effectively conduct elections and manage municipal affairs. Accordingly, Section 14 of the Act has been amended to provide that the first election to a municipality may be held within two years of its constitution.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No.3 of 2025) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by H.E. the Governor, Himachal Pradesh on 1st August, 2025, which was published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 13th August, 2025 *vide* Notification No. LLR-D (6) 13/2025-Legn, dated 13th August, 2025.

Now, the said Ordinance is being replaced by a regular enactment with minor modifications.

(VIKRAMADITYA SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The…………., 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—